

॥ महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर ॥

क्रमांकः— सामान्य/स्थाई आदेश/2009/ १२८७७-६७७ दिनांकः— २१/८/१०

संशोधित स्थाई आदेश (2/2009)

इस कार्यालय के पूर्व में पत्र संख्या सामान्य/स्थाई आदेश/09/46690-790 दिनांक 21.12.09 के द्वारा जारी स्थाई आदेश संख्या 2/2009 में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश प्रसारित किये जाते हैं कि पूर्व उक्त स्थाई आदेश के साथ सलंगन भिजवाये गये प्रपत्र संख्या 2, 3, एवं 6 को हटाकर उसके स्थान पर नया प्रपत्र संख्या 2 जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि इसके साथ सलंगन भिजवाई जा रही है, जिसके अनुसार अभिलेख का संधारण किया जावें।

सलंगनः— प्रपत्र संख्या—2


महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :—

- 1— समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभाराधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
- 2— प्राचार्य कारागार, प्रशिक्षण संरथान, अजमेर।
- 3— प्रभारी, बंदी/सामान्य/स्थापना/निरीक्षण शाखा, महानिदेशालय कारागार, राज० जयपुर।




महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान जयपुर

प्रपत्र-2 रेमीशन पंजिका

दण्डित बंदियान को वर्ष की प्रथम/द्वितीय/तृतीय /चतुर्थ तिमाही में बंदी के आचरण व दण्ड को दृष्टिगत रखते हुये देय परिहार की अनुशंसा की जाती है :—

क्र. स.	बंदी प्रवेश पंजिका क्रमांक	नाम बंदी मय पिता	आचरण पर टिप्पणी	यदि दण्डित है तो दण्ड का विवरण	कितने दिन का परिहार दिया जाये
1	2	3	4	5	6



कारापाल
कारागृह.....